संख्या– 4182 /9–1–15–372सा/2013

प्रेषक,

सुधीर सिंह चौहान
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक
स्थानीय निकाय,
उ0प्र0 लखनऊ ।

नगर विकास अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक 15 दिसम्बर 2015

विषय– जलकल विभाग/जल संस्थानों में कार्यरत पम्प चालकों के वेतनमान के संबंध में शासनादेश संख्या–4551/9–1–13–272सा/13 दिनांक 17.10.13 का स्पष्टीकरण ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–4551/9–1–13–272सा/13 दिनांक 17.10.2013 द्वारा अन्य कनिष्ठ वर्ग के प्राविधिक पदों के साथ–साथ पम्प चालक पद पर भर्ती का स्रोत में सीधी भर्ती की अर्हता हाई स्कूल (विज्ञान विषय के साथ-2) इलेक्ट्रिशियन /नलकूप मैकेनिक ट्रेड में आई0टी0आई का दो वर्षीय प्रमाण पत्र निर्धारित करते हुए ग्रेड वेतन 1900 स्वीकृत किया गया है ।

2– महाप्रबन्धक जलकल विभाग लखनऊ के पत्र सं01155/एलजे0एस0–80/जी0एम0 दिनांक 20–7–15 द्वारा यह अवगत कराया गया है कि लखनऊ जलकल विभाग में कतिपय पम्प चालक ऐसे है जो उक्त अर्हता धारित नही करते है परन्तु पम्प चालक के पद पर लगभग 20 वर्षो से कार्यरत है। ऐसे लोगों को ग्रेड वेतन रू0 1900 स्वीकृत नही किया गया है। महाप्रबन्धक ने इन लोगो को भी ग्रेड वेतन रू0 1900 स्वीकृत करने का अनुरोध किया है।

3 इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि शासनादेश दिनांक 17.10.13 से पूर्व पम्प चालक के पद पर कार्यरत सभी कार्मिकों को शासनादेश दिनांक 17.10.13 द्वारा अनुमन्य वेतन बैण्ड–1 रू0 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 1900 अनुमन्य कराया जायेगा भले ही उनकी अर्हता शासनादेश दिनांक 17.10.2013 के अनुसार न हो परन्तु शासनादेश दिनांक 17.10.13 के पश्चात पम्प चालक के पद पर भर्ती शासनादेश दिनांक 17.10.13 में निर्धारित अर्हता के अनुसार ही की जायेगी।

4. उक्त के फलस्वरूप आने वाले अतिरिक्त व्ययभार को सम्बन्धित जलकल विभाग /जल संस्थान अपने स्रोतों से वहन करेंगे। राज्य सरकार द्वारा संक्रमण के माध्यम से दी जा रही धनराशि के अतिरिक्त अन्य कोई धनराशि/सहायता नही दी जायेगी ।

भवदीय,

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।

4182
संख्या– (1)/9–1–15 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, लेखा (प्रथम), उ0प्र0 इलाहाबाद।
2– मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, झांसी एवं चित्रकूट।
3– समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
4– समस्त महाप्रबंधक, जल संस्थान, उत्तर प्रदेश।
5– वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1/2 को तीन–तीन प्रतियों में।
6–. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–8।
8– नगर विकास अनुभाग–3
9– गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।